

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/770

भोपाल, दिनांक 4 / 5 / 2018

✓ // आदेश //


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण हेतु (सेवानिवृत्त) निम्नलिखित अधिकारियों का पैनल बनाया जाकर निम्नानुसार सेवा शर्तों के अधीन विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति स्थान
1	श्री दिनेश चन्द्र सिंधी	अपर कलेक्टर (रा.प्र.से.) प्रवर श्रेणी	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
2	श्री रमेश चन्द्र सक्सेना	संयुक्त कलेक्टर,	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
3	श्री बसंत तिवारी	एस.डी.एम./डिप्टी कलेक्टर	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
4	डॉ. राधा वल्लभ शर्मा	अति. संचालक	उच्च शिक्षा विभाग

सेवा शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- (एक) आवंटित प्रकरणों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार मानदेय देय होगा।
- (दो) नियुक्त सेवानिवृत्त विभागीय जांच अधिकारी सेवा निवृत्त के समकक्ष पद या उससे उपर वाले पद के अधिकारी की विभागीय जांच नहीं कर सकेगा।
- (तीन) नियुक्त सेवानिवृत्त विभागीय जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच दो माह में पूर्ण की जायेगी।
- (चार) ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी को समक्ष अधिकारी द्वारा कभी भी बिना कारण बताये हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा। ऐसे सेवा निवृत्त अधिकारी स्वयं भी लिखित सूचना देकर कार्य से पृथक हो सकेगा, परन्तु उसे एक सप्ताह के भीतर सभी रिकार्ड समक्ष अधिकारी को सौंपना होगा।
- (पांच) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/6-9/99/3/एक, दिनांक 02.07.1999 की कण्डिका (9) के अनुसार ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी विभागीय जांच अधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के 12 वें खण्ड "ए" के अनुसार "लोक सेवक" ही माना जायेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

  
( धनराज एस 9/5/18 )  
संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,  
भोपाल


//2//

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2018/771

भोपाल, दिनांक ५ / ८ / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय ।
5. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय ।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, स्थानीय कार्यालय ।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र. ।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
10. संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर उपरोक्त आदेश पालनार्थ ।
11. निज सहायक (संचालक, प्रशासन/अपर संचालक, प्रशासन), स्थानीय कार्यालय ।
12. प्रभारी, स्टोर शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर लेख है कि संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारियों को विभागीय जांच प्रकरणों को निपटाने हेतु कक्ष आवंटित कर कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की भी व्यवस्था करने का कष्ट करें ।
13. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती ।



अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,  
भोपाल